(18)

वित्तीय स्वीकृति/आयोजनेत्तर

संख्या 225/XVII–2/2011–4(3)/2006

प्रेषक,

एम0एच0खान,
सचिव एवं आयुक्त,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)

समाज कल्याण अनु0–2 देहरादून, दिनांक:30 मार्च, 2011

विषयः– रूडकी, जनपद हरिद्वार में संचालित मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्था श्री गांधी महिला शिल्प विद्यालय के वर्ष 2010–11 के अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या– 4368/स0क0/वि0स0प्र0 अनुदान/2010–11/ दिनांक 28 फरवरी, 2011 के क्रम में रूडकी जनपद हरिद्वार में संचालित मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्था श्री गॉधी महिला शिल्प विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन आदि के भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 में कुल प्राविधानित धनराशि रू0 6.00लाख में से रू0 3.00लाख (रू0 तीन लाख मात्र) की धनराशि की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उपरोक्त प्राविधिक शिक्षण संस्था को किस–किस मद में तथा किस सीमा तक अनुदान देय है, उससे संबंधित नियमावली,मान्यता प्रमाण पत्र विगत तीन वर्षों के लाभार्थियों की सूची तथा विवरण भी शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– आय–व्ययक द्वारा व्यवस्थित उक्त धनराशि में से केवल स्वीकृत चालू योजनाओं पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्यों के कार्यान्वयन के लिए न किया जाए।

3– उक्त आवंटित धनराशि किसी ऐसे मद पर व्यय करने से पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अनुसार शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति, यदि आवश्ययक हो तो ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाए।

4– उक्त धनराशि का व्यय मितव्ययता को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनुमन्यता के आधार पर किया जाएगा तथा स्वीकृत धनराशि का व्यय नई मदों में कदापि नहीं किया जाएगा। व्यय उन्हीं मदों में किया जाएगा, जिनके लिए स्वीकृत किया जा रहा है।

5– अप्रयुक्त धनराशि को वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं बजट मैनुअल के अन्तर्गत् समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6– स्वीकृत की जा रही धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण तथा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समयान्तर्गत् शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

7– स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित प्राविधानों एवं बजट मैनुअल व मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों के अन्तर्गत् किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

8– इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–15 के आयोजनेत्तर पक्ष के लेखाशीर्षक 2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 02–समाज कल्याण 107–स्वैच्छिक संगठनों को सहायता 03–मान्यता प्राप्त प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं को अनुदान के मानक मद 20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–567(NP)/XXVii(3)/09 दिनांक 30 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव एवं आयुक्त।

पृष्ठांकन संख्या 925/XVII–2/2011–4(3)/2006 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तराखण्ड देहरादून।
2– निदेशक,कोषागार एवं वित्त सेवायें,उत्तराखण्ड, देहरादून।
3– कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल/हरिद्वार।
4– वित्त(व्यय नियंत्रण)अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौडी।
6– जिलाधिकारी, हरिद्वार।
7– मुख्य विकास अधिकारी, हरिद्वार।
8– जिला समाज कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
9– अध्यक्ष, महिला कला केन्द्र, चन्द्रपुरी,रूडकी, जनपद हरिद्वार।
10– समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ।
11– निदेशक, एन0आई0सी0,सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(बी0आर0टम्टा)
अपर सचिव